



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

चतुर्थ तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर-27, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन-492015 (छत्तीसगढ़)
दूरभाष-0771-2511285, 2511287, ई-मेल: office.mdnrhm@gmail.com



क्रमांक / NHM / HR / 2022 / NS-197 / 1400

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07.07.2022

// प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का काउंसिलिंग हेतु सूचना एवं दिशा-निर्देश // (Community Health Officer)

कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक / NHM / HR / 2021 / NS-1013 / 2134 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत प्रदेश के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के सुचारू संचालन हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (संविदा) के कुल 2700 पदों पर भर्ती के लिये विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। भर्ती की समस्त प्रक्रिया उपरांत रिक्त सीटों को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से भरे जाने हेतु अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन दिनांक 30.04.2022 को विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in में अपलोड किया गया था।

उपरोक्त प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज परीक्षण एवं काउंसिलिंग का आयोजन निम्नांकित तिथि में राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, सेक्टर-27, नवा रायपुर, अटल नगर में किया जायेगा। उक्त काउंसिलिंग विज्ञापन के नियमानुसार वर्गवार मेरिट क्रम अनुसार आयोजित की जा रही है।

क्र.	संभाग का नाम	काउंसिलिंग तिथि	काउंसिलिंग समय	काउंसिलिंग स्थान
01	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा	11.07.2022	प्रातः 10:00 बजे से	राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, चतुर्थ तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, व्यावसायिक परिसर (Commercial Complex) सेक्टर-27, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन 492015

Google Map Location - <https://goo.gl/maps/ojf2XzAWscVzJR4r9>

उपरोक्त तालिका अनुसार काउंसिलिंग हेतु प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के लिये दिशा-निर्देश निम्नानुसार है। **अभ्यर्थी दिशा-निर्देश का सूक्ष्मता से अवलोकन कर पालन करें।**

01. सर्वप्रथम काउंसिलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों का पंजीयन प्रातः 11 बजे तक किया जायेगा। निर्धारित समय के पश्चात् उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु अंतिम में अवसर प्रदान किया जावेगा। पंजीयन रजिस्टर में पंजीयन क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम, वर्ग, जन्मतिथि, मोबाईल नंबर, ई-मेल आई.डी., हस्ताक्षर आदि की प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है।
02. अभ्यर्थी के पंजीयन उपरांत उनके निम्नांकित मूल दस्तावेजों का अनिवार्यतः सूक्ष्मतापूर्वक जाँच/परीक्षण किया जायेगा तथा निम्नांकित दस्तावेजों की एक-एक प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा -

- ❖ ऑनलाईन आवेदन फार्म की प्रति।
 - ❖ 10 वीं, 12 वीं एवं स्नातक (Graduation) के समस्त वर्षों की अंकसूची।
 - ❖ B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health Integrated Course (**Passed in Community Health Nursing in March-April, 2021**) अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षाफल का संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंकसूची।
 - ❖ संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के डीन/प्राचार्य के द्वारा जारी B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health Integrated Course प्रथम बैच में उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र (विज्ञापन में संलग्न Appendix-1)।
 - ❖ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छ.ग. निवास प्रमाण-पत्र।
 - ❖ आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो तो)
 - ❖ अभ्यर्थी का दिव्यांगता/भूतपूर्व श्रेणी का प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो तो)
 - ❖ 02 नग पासपोर्ट साईज रंगीन फोटोग्राफ (वर्तमान का)।
 - ❖ पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस या पेन कार्ड आदि।
03. काउंसिलिंग स्थल पर प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दस्तावेज एवं फार्म को सूक्ष्मतापूर्वक जाँच किया जायेगा।
04. अभ्यर्थी काउंसिलिंग में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वे प्रतिनिधि के रूप में अपने संबंधी/रिश्तेदार को काउंसिलिंग के लिये नामित कर सकते हैं, इस हेतु लिखित आवेदन विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नामित व्यक्ति को संबंधित अभ्यर्थी का निर्धारित समस्त दस्तावेजों की मूलप्रति एवं छायाप्रति (01 सेट) के साथ काउंसिलिंग में उपस्थित होना होगा।
05. अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। पंजीयन नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी को 45 दिवस का समय प्रदान किया जायेगा।
06. विज्ञापन के कण्डिका 4.2 अनुसार-संभागवार/वर्गवार अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या से अधिक होने पर ऐसे समस्त अतिरिक्त अभ्यर्थियों की वर्गवार संयुक्त प्रावीण्य सूची बनाकर अन्य संभाग में उपलब्ध रिक्त पदों हेतु नियमानुसार काउंसिलिंग कर पदस्थापना की जावेगी। उक्त बिन्दु के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की गयी है। अतः अभ्यर्थी संबंधित संभाग के वर्गवार मेरिट सूची में नाम नहीं होने की स्थिति में अन्य संभाग में अपना नाम देख लें।
07. अभ्यर्थियों को संभागवार संयुक्त मेरिटक्रम में पदस्थापना हेतु काउंसिलिंग के लिये आमंत्रित किया जायेगा।
08. यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा पदस्थापना स्थल के चयन में विलंब किया जाता है तो उसे काउंसिलिंग सम्पन्न होने के उपरांत पुनः अवसर दिया जावेगा।
09. चयनित पदस्थापना स्थल में ही अभ्यर्थी को नियमानुसार नियुक्ति आदेश प्रदान किया जायेगा तथा संबंधित स्थल में ही कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। कार्यभार ग्रहण के उपरांत किसी भी स्थिति में पदस्थापना स्थल को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।